रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240464 CG-DL-E-23112022-240464

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/अग्रहायण 1, 1944

No. 742]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/AGRAHAYANA 1, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

सा.का.िन. 833(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की प्रस्थापना करती है और उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए, उनको प्रारूप नियम के रूप में प्रकाशित करती है और यह सूचना देती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार करेगी।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में. किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे. केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा :

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पित संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

7766 GI/2022 (1)

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कीटनाशक नियमावली, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 6 में, उपनियम (2) में, "खंड (i) और (ii)" के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

तालिका-।

क्रम संख्या	कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा	आवेदन की श्रेणी	पंजीकरण के लिए देय शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	9(3)/9(3ख)	रासायनिक कीटनाशक	2,25,000/-
		जैव-नाशकजीवमार	10,000/-
		निर्यात	12,500/-
2.	9 (4)		25,000/-

- 3. उक्त नियमों में, नियम 6अ में, "एक सौ रुपये" शब्दों को "पांच सौ रुपये" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 4. उक्त नियमों के, नियम 6 ख़, में शब्द "एक सौ रुपये" हटा दिया जायेगा और "लेबल और पत्रक" शब्दों के बाद निम्नलिखित तालिका जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

तालिका-II

क्रम संख्या	लेबल तथा पत्रक सहित पंजीकरण प्रमाण पत्र में वर्धन , लोप या परिवर्तन आदि और अन्य संबंधित गतिविधियां	पंजीकरण के लिए देय शुल्क (रुपये में)	
(1)	(2)	(3)	
1.	जैव-नाशकजीवमार के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के विस्तार के लिए अनुमोदन	5,000/-	
2.	कीटनाशकों के पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के विस्तार के विस्तार के लिए अनुमोदन		
3.	कंपनी/फर्म के नाम में परिवर्तन के लिए अनुमोदन		
4.	पहली बार कारखाने का पता / कारखाने का स्थानांतरण और दूसरा कारखाना पता स्थापित करने के लिए अनुमोदन		
5.	अधिग्रहण / विलय / विनिवेश / समामेलन / विनिवेश के मामले में एक व्यक्ति / उपक्रम के पंजीकरण प्रमाण पत्र का किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरण के लिए अनुमोदन	1,000/- प्रति	
6.	विनिवेश के कारण रसायनों के आयात के स्रोत के नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन	प्रमाणपत्र	
7.	आयात के स्रोत के नाम में परिवर्तन	5,000/-	

8.	पंजीकरण प्रमाण पत्र में आयात के पहले से ही अनुमोदित अतिरिक्त स्रोत को शामिल करने के लिए अनुमोदन	2,500/-
9.	पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यालय के पते में परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन	1,000/- प्रति प्रमाणपत्र
10.	पंजीकरण के प्रमाण पत्र में आयात के पहले से स्वीकृत स्रोत के आपूर्तिकर्ता के नाम के लिए अनुमोदन	2,500/-
11.	लेबल मे विस्तार करने के लिए अनुमोदन 9(3)	15,000/-
12.	लेबल मे विस्तार करने के लिए अनुमोदन 9(4)	5,000/-
13.	शेल्फ-आयु के लिए अनुमोदन 9(3)	2,500/-
14.	शेल्फ-आयु के लिए अनुमोदन 9(4)	
15.	नई/वैकल्पिक पैकेजिंग के लिए अनुमोदन 9(3)	5,000/-
16.	नई/वैकल्पिक पैकेजिंग के लिए अनुमोदन 9(4)	2,500/-
17.	घरेलू उपयोग के लिए कीटनाशक का लेबल विस्तार 9(3)	5,000/-
18.	उपरोक्त श्रेणियों के अलावा अन्य अनुमोदन	1,000/-
19.	आयात अनुज्ञा-पत्र (बहुउपयोगी, बोरिक एसिड और जैवनाशी)	5,000/-
20	अनुसंधान , जांच और परीक्षण (आर. टी. टी.)	2,500/-
21	नि: शुल्क बिक्री प्रमाण पत्र	500/- प्रति प्रमाणपत्र
22.	सत्यापन प्रमाण पत्र	

5. उक्त नियमों के, नियम 7 के उपनियम '3' में शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं.13028/01/2020-पीपी-I]

डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव (पीपी)

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए तथा इसमें निम्न द्वारा और संशोधन किया गया:-

- सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976,
- 2. सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 9 दिसंबर, 1977,
- 3. सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 1988,
- 4. सा.का.नि. 533 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 1993,
- 5. सा.का.नि. 371 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,
- 6. सा.का.नि. 372 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,
- 7. सा.का.नि. 586 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1999,
- 8. सा.का.नि. 548 (अ), दिनांक 12 सितंबर, 2006,
- 9. सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 2006,
- 10. सा.का.नि. 128 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2009,
- 11. सा.का.नि. 174 (अ), दिनांक 5 मार्च, 2010,
- 12. सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2013,

- 13. सा.का.नि. 797 (अ), दिनांक 13 नवंबर, 2014,
- 14. सा.का.नि. 840 (अ), दिनांक 5 नवंबर, 2015.
- 15. सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2016,
- 16. सा.का.नि. 794 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 2016,
- 17. सा.का.नि. 79 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 2017,
- 18. सा.का.नि. 106 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017,
- 19. सा.का.नि. 1229 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2017,
- 20. सा.का.नि. 1588 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017
- 21. सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2018,
- 22. सा.का.नि. 1204 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018
- 23. सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2019,
- 24. सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 2019
- 25. सा.का.नि. 782 (अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2019,
- 26. सा.का.नि. 07 (अ) दिनांक 2 जनवरी, 2020,
- 27. सा.का.नि. 355 (अ) दिनांक 5 जून, 2020
- 28. सा.का.नि. 805 (अ) दिनांक 30 दिसंबर 2020,
- 29. सा.का.नि. 620 (अ) दिनांक 08 सितंबर 2021 और
- 30. सा.का.नि. 39 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2022।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

G.S.R. 833(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby proposes to make the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 and publishes as draft rules, as required by sub-section (1) of said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 or through email at ispp-dac@gov.in.

Draft Rules

- 1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Insecticides (amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
- 2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in sub-rule (2), "clause (i) and (ii)" shall be substituted with the Table-I:

TABLE-I

S. No.	Section of the Insecticides Act, 1968	Category of application	Fee payable for Registration
			(in Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	9(3)/(3B)	Chemical Insecticides	2,25,000/-
		Bio-pesticides	10,000/-
		Export	12,500/-
2.	9 (4)		25,000/-

- 3. In the said-rules, in rule 6A, the words "rupees one hundred" shall be substituted with the words "rupees five hundred".
- 4. In the said-rules, in rule 6B, the words "rupees one hundred" shall be deleted and after the words "Labels and Leaflets" following shall be inserted, namely:-

The fee shall be payable as given in the Table-II:-

TABLE-II

S. No.	Addition, deletion or alteration etc. on the Certificate of Registration including labels and leaflets and other related activities	Fee payable for Registration (in Rupees)	
(1)	(2)	(3)	
1.	Endorsement of Extension of Validity of CRs of Bio-pesticide		
2.	Endorsement of Extension of Validity of CRs of Insecticides	5,000/-	
3.	Endorsement of change of name of the company/firm		
4.	Endorsement of factory address for the first time/shifting of factory and establishment of second -factory address		
5.	Transfer of certificate of registration of one person/undertaking in the name of another person/undertaking in case take over/merger/divestment/amalgamation/disinvestment	1,000/- per Certificate	
6.	Endorsement of change of name of source of import of chemicals due to disinvestment		
7.	Change of name of source of import	5,000/-	
8.	Endorsement for inclusion of already approved additional source of import in the Registration Certificate	2,500/-	
9.	Endorsement of change in office address with respect to certificates of registration	1,000/- per Certificate	
10.	Endorsement of name of supplier of already approved source of import in the certificate of registration	2,500/-	
11.	Endorsement of Label Expansion 9(3)	15,000/-	
12.	Endorsement of Label Expansion 9(4)	5,000/-	
13.	Endorsement of shelf-life 9(3)	2,500/-	
14.	Endorsement of shelf-life 9(4)		
15.	Endorsement of new/alternate packaging 9(3)	5,000/-	
16.	Endorsement of new/alternate packaging 9(4)	2,500/-	
17.	Label expansion of insecticide for household use 9(3)	5,000/-	
18.	Endorsement other than above categories	1,000/-	
19.	Import Permit (Multi use, Boric acid and Biocides)	5,000/-	
20	Research, test and trials (RTT)	2,500/-	
21.	Free sale Certificate	500/- per Certificate	
22.	Attestation of Certificate		

5. In the said-rules, in rule 7, in sub-rule '3', the words "rupees one thousand" shall be substituted by the words "rupees two thousand five hundred".

[F. No. 13028/01/2020-PP-I]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Addl. Secy. (PP)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:-

- 1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
- 2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
- 3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
- 4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
- 5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
- 6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
- 7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
- 8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
- 9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
- 10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
- 11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
- 12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
- 13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
- 14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
- 15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
- 16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
- 17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
- 18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017
- 19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
- 20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
- 21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018,
- 22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018,
- 23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019,
- 24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
- 25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019,
- 26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020,
- 27. G. S. R. 355(E) dated 5th June, 2020
- 28. G.S.R. 805(E) dated 30th December, 2020
- 29. G.S.R 620(E) dated 8th September, 2021 and
- 30. G.S.R 39(E) dated 24th January, 2022.